न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चाकसू जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– बनवारी लाल सिनसिनवार **R.A.S.**

मुकदमा नम्बर :– 05/2018 निर्णय दिनांक :– 11/2/2019

उनवान

1. लादया उर्फ चन्द्र सेन मीणा पुत्र छोटू जाति मीणा निवासी ग्राम खाजलपुरा हाल निवासी करतारपुरा जयपुर।

––प्रार्थी––

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर

––अप्रार्थी––

प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

प्रार्थी की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त आराजी भूमि जिसके खसरा नम्बर 279 रकबा 0.42 है0, खसरा नम्बर 283 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 284 रकबा 0.47 है0, खसरा नम्बर 285 रकबा 0.43 है0, खसरा नम्बर 286 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 287 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 288 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 289 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 311 रकबा 0.57 है0, खसरा नम्बर 312 रकबा 0.[illegible] है0 कुल किता [illegible] कुल रकबा 3.34 है0 जो वाके ग्राम खाजलपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है। जिस पर प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (जयपुर)

अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त है और लगातार उसका हर प्रकार से उपयोग उपभोग कर रहा है।

वादग्रस्त आराजी के प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में लादया पुत्र छोटू के नाम से दर्ज हो गया। लादया उर्फ चन्द्रसेन पुत्र छोटू एक ही नाम का व्यक्ति है इस प्रकार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में लादया पुत्र छोटू अंकित हो गया है जबकि प्रार्थी का नाम चन्द्रसेन पुत्र छोटू है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, एवं ग्राम पंचायत का प्रमाण व अन्य दस्तावेजों में भी प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम चन्द्र सेन पुत्र छोटू दर्ज है। प्रार्थी के सरकारी दस्तावेजों में भी यही नाम है।

प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड में नाम अंकन लादया पुत्र छोटू दर्ज हो गया है जो सहवन त्रुटि से दर्ज हो गया है। प्रार्थी का नाम लादया उर्फ चन्द्र सेन पुत्र छोटू के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में नाम का अंकन होना चाहिए है। इसी नाम से प्रार्थी के अन्य सरकारी दस्तावेज बने हुए है तथा उनमें यही नाम है।

प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम लादया उर्फ चन्द्र सेन पुत्र छोटू है इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में लादया पुत्र छोटू जमाबन्दी में गलती से इन्द्राज हो गया है लादया पुत्र छोटू के स्थान पर चन्द्र सेन उर्फ लादया पुत्र छोटू अंकित किया जावे। जिससे प्रार्थी को उक्त भूमि के संबंध में के.सी.सी. कार्ड इत्यादि बनाने में परेशानी आ रही है तथा बैंक से के.सी.सी. लेने हेतु अपने आधार कार्ड से लिंक करवाने हेतु दिनांक 09.08.2018 को बैंक में गया तो बैंक वालों ने आधार कार्ड से जोडने एवं लोन देने से मना कर दिया। इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में इसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में लादया पुत्र छोटू के स्थान पर लादया उर्फ चन्द्र सेन पुत्र छोटू दर्ज किया जाकर रिकॉर्ड में इसी प्रकार की शुद्धि किये जाने में किसी प्रकार की कोई कानूनी अडचन उत्पन्न नहीं होगी तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

भविष्य में उत्पन्न होने वाली पैचिदगियों से भी बचा जा सकेगा। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी में वर्णित मद नं. 01 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सहवन त्रुटि से अधूरा नाम लादया पुत्र छोटू दर्ज हो गया है जिसके स्थान पर लादया उर्फ चन्द्र सेन पुत्र छोटू अंकित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में नाम का शुद्धिकरण किया जावे। इस हेतु तहसीलदार चाकसू को तहरीर जारी की जावे।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की गयी व जवाब सरकार हेतु लिखा गया तो पैरोकार सरकार ने जवाब सरकार इस प्रकार पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2073–76 खाता संख्या 118 के अनुसार खसरा नम्बर किता 11 रकबा 3.34 है0 में खातेदार लादया तथ्या पिता छोटू मीणा सा0 देह के नाम दर्ज है। सम्वत 2026 से 29 के ख्साात संख्या 84 के अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर के साबिक खसरा नम्बर 428/2, 30 की खातेदारी लादया नाथ्या पुत्र छोटू मीना के नाम दर्ज है। शेष इबारत वादी स्वयं सिद्ध करे।

जवाब सरकार पेश होने पर बहस प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं की सुनी गयी तो दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना जाहिर किया गया प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में चुनाव पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, जमाबन्दी ग्राम खाजलपुरा की वर्ष 2065–68 खाता संख्या 103 जमाबन्दी सम्वत 2061–64 खाता संख्या 91 जमाबन्दी सम्वत 2026–29 एवं स्वयं का व आ का शपथ पत्र बतौर सबूत पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:25 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं की बहस पर गौर किया व प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण किया गया तो प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में लादया पुत्र छोटू अंकित है

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

जबकि अन्य रिकॉर्ड में आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, पेन कार्ड में चन्द्रसेन पुत्र छोटू अंकित है। प्रार्थी अपना नाम लादया उर्फ चन्द्रसेन पुत्र छोटू करवाना चाहता है जिस बाबत सहखातेदार नाथ्या पुत्र छोटू ने प्रार्थी का नाम शुद्ध किये जाने में आपत्ति नहीं की गयी। अतः जवाब सरकार स्वयं व नाथ्या पुत्र छोटू के शपथ पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी का अन्तर्गत 136 एल.आर. एक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 279, 283 से 289, 311, 312 किता 11 रकबा 3.34 है0 वाके ग्राम खाजलपुरा तहसील चाकसू में प्रार्थी का नाम लादया पुत्र छोटू के स्थान पर लादया उर्फ चन्द्रसेन पुत्र छोटू शुद्ध किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:25 IST
Reason: SelfAttested